झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0—(विविध) 26/2021— 383

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार।

राँची, दिनांक :— 19.04.2022

विषयः— **झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के आंतरिक बैठक की कार्यवाही के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा गोड्डा जिले के भ्रमण के क्रम में, सुंदर पहाड़ी प्रखण्ड के स्थलीय निरीक्षण के दौरान नमक एवं चीनी के वितरण एवं रख—रखाव में अनियमितता एवं लापरवाही पाया गया। बार—बार पत्राचार के बाद भी उपायुक्त, गोड्डा द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप, इस विषय पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिशा—निर्देश तय करने के उद्देश्य से दिनांक—18.04.2022 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक की कार्यवाही इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/4/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Ravish Sir\Letters.docx275

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

दिनांक–18.04.2022 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आहूत आयोग कार्यालय की आंतरिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. श्रीमती शबनम परवीन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
5. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गई। अध्यक्ष द्वारा सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र ज्ञापांक–989 दिनांक–05.04.2022 के सम्बन्ध में सभी सदस्यों को बताया गया। इस सम्बन्ध में उपायुक्त, गोड्डा को प्रेषित विभिन्न पत्रों का अवलोकन सभी सदस्यों द्वारा किया गया एवं विमर्शोपरांत निम्न निर्णय लिए गएः–

- दिनांक–25.11.2021 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा गोड्डा जिले का भ्रमण किया गया था। भ्रमण के क्रम में सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड का स्थल निरीक्षण के दौरान नमक एवं चीनी के वितरण एवं रख–रखाव में अनियमितता एवं लापरवाही चिन्हित की गई थी। आयोग के पत्रांक–780 दिनांक–26.11.2021 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को स्थिति स्पष्ट करने एवं कतिपय बिन्दु पर कार्रवाई करने के साथ–साथ वस्तु–स्थिति से आयोग को भी अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। उपायुक्त, गोड्डा से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः उपायुक्त, गोड्डा को पत्रांक–820 दिनांक–09.12.2021 से स्मारित किया गया। स्मारित करने के बाद भी उपायुक्त, गोड्डा से कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त रहा। तत्पश्चात् आयोग के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0–42 दिनांक–17.01.2022 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को शीघ्र स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। आयोग के अर्द्ध सरकारी पत्र का जवाब लगभग दो महीने बाद भी प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थिति को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया एवं प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को पत्रांक–280 दिनांक–16.03.2022 से उपायुक्त, गोड्डा के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने के लिए लिखा गया एवं उक्त पत्र की प्रति सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को दी गई।
- सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–989 दिनांक–05.04.2022 के माध्यम से उपायुक्त, गोड्डा को निदेश दिया गया था कि आयोग द्वारा भेजे गए पत्र से सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को दिनांक–08.04.2022 तक उपलब्ध कराया

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

18/04/2022

जाय। परन्तु उपायुक्त, गोड्डा द्वारा अब तक न तो कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है और न ही अपना पक्ष रखा गया है। सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची ने उपायुक्त, गोड्डा को भेजे गए पत्र में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की नियमावली–2015 के नियम–10 (viii) में किये जाने वाले कार्रवाई का भी स्पष्ट उल्लेख किया है।

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के पत्रों और सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश के बावजूद उपायुक्त, गोड्डा द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण आयोग नियम–10 (viii) के तहत् अग्रेत्तर कार्रवाई करने को विवश है। आयोग आज की बैठक में आम सहमति से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उपायुक्त, गोड्डा, श्री भोर सिंह यादव के विरूद्ध नियम–10 (viii) के तहत् कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। प्रावधान के अनुरूप मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने के लिये आयोग में पूर्व से सूचीबद्ध अधिवक्ताओं में से वरीष्ठतम अधिवक्ता को इस दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करने के लिये उनकी सेवा प्राप्त की जाए। भुगतान आयोग के पूर्व के निर्णय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होगा।
- आज के बैठक के कार्रवाई की प्रति सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के साथ–साथ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को भी प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। आयोग, सदस्य सचिव को निदेशित करता है कि वे आयोग के पैनल में सूचीबद्ध अधिवक्ताओं में से वरीष्ठतम अधिवक्ता से संपर्क कर नियम–10 (viii) के तहत् अग्रेत्तर कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

18/04/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Meeting Proceedings with letter no. and letter dated..docx287

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261